

संख्या: 2519 /X-3/25/01(222)/2016-E-83570

प्रेषक,

कल्याणी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग-03

देहरादून: दिनांक: 11 नवम्बर, 2025

विषय: जनपद बागेश्वर में कमेड़ीदेवी भन्तोला-स्याकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से रंगथरा-मजगांव-चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.05 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:768, दिनांक-08.07.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या- 8बी/यू०सी०पी०/०६/४३/ 2025/एफ०सी०, दिनांक-03.10.2025 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय प्रश्नगत प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- अतः भारत सरकार द्वारा उक्त पत्र दिनांक- 03.10.2025 (प्रति संलग्न) के माध्यम से प्रदत्त विधिवत स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों एवं नियमों/विनियमों/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के तहत नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।

Digitally signed by
Kalyani
Date: 10-11-2025
17:00:25

भवदीया,
(कल्याणी)
अपर सचिव।

संख्या: 2519 (1)/X-3-25/01(222)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा, उत्तराखण्ड।
- 3-जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- 4-वन संरक्षक, उत्तरी कुमायूं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- 6-अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
- 7-गार्ड फाईल।

(कल्याणी)
अपर सचिव।



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID:- nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135-2767611

2519/X-3-25

पत्रांक- 768 /12-1 देहरादून: 1 (222) दिनांक: 08 जुलाई, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख सचिव कार्यालय
में प्राप्ति
दिनांक 13/10/2025

विषय:- जनपद-बोगेश्वर में कमेड़ीदेवी भन्तोला-स्याकोट मोटर मार्ग के किमी 0 2.0 से रंगथरा-मजगांव-चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.05 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/17945/2015)

महोदय,

जनपद-बोगेश्वर में कमेड़ीदेवी भन्तोला-स्याकोट मोटर मार्ग के किमी 0 2.0 से रंगथरा-मजगांव-चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.05 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन सम्बन्धि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 03-10-2025 से विधिवत् स्वीकृति निर्गत की गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयक प्रकरण में अपने स्तर से औपचारिक विधिवत् स्वीकृति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

803
15/10/25

DS
15-10-25
(सत्यप्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन

भवदीय,
(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या 768 /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उद्देश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
- 2- अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

Secy, Forest

कार्यालय प्रमुख सचिव
पत्र संख्या 6238
दिनांक 13/10/2025

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून

(अमित कुमार भारती)
वरिष्ठ निजी सचिव-प्रमुख सचिव
वित्त, वन एवं पर्यावरण विभाग
उत्तराखण्ड शासन

29/10 (S.P.S)

AS(F-3)

JS(F)

(तारकेश्वर यादव)
निजी सचिव-
अपर सचिव
वन एवं पर्यावरण

3689/AS(F)/2025
14/10/2025

(केवल सिंह)
वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, वन

नीरमणी
16.10.25



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू०सी०पी०/06/43/2025/एफ०सी

दिनांक: As per E-sign

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय: जनपद बागेश्वर में कमेडीदेवी भन्तोला-स्याकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से रंगथरा-मजगाँव-चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.05 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/17945/2015.

सन्दर्भ: कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 1301/12-1 : देहरादून: दिनांक: 26.10.2024 तथा 14.08.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषय कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 14.08.2025 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21.07.2016 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद बागेश्वर में कमेडीदेवी भन्तोला-स्याकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से रंगथरा-मजगाँव-चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.05 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, को प्रत्यावर्तन को विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर-वानिकी भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सौंपने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

3. This approval is subject to the final outcome w.r.t. Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025 and 04.03.2025.

4. प्रतिपूरक वनीकरण :

(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 2.10 है० सिविल सोयम भूमि, ग्राम- किलपारा सिविल पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाएगा और प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

(ख) क्षतिपूरक वनीकरण के उद्देश्य से राज्य के वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित कर दी गई है अतः राज्य सरकार उक्त भूमि जो अब वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित कर दी गई है को अपनी कार्य योजना में शामिल करना सुनिश्चित करें।

(ग) Non-forest land identified for raising Compensatory Afforestation (CA) has been transferred and mutated in favour of the State Forest Department, but still not notified as PF. Therefore, State Government shall ensure that non-forest land proposed for CA shall be notified as Protected Forest under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 before handing over of forest land to the User Agency by the State Government, and Nodal Officer shall upload a copy of said notification on the PARIVESH portal."

5. प्रस्ताव हेतु कैम्पा कोष में कुल जमा की गई राशियों का विवरण :

क्रम सं.	मद	कुल जमा राशि (रु. में)
1	क्षतिपूरक वनीकरण (CA)	4,83,634.2
2	शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV)	10,55,471
3	अन्य (Road side plantation)	6,90,624

6. प्रस्ताव में प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों का भी अक्षरशः पालन किया जाएगा।

7. वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से सुनिश्चित किया जाएगा

8. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को यथासंभव न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 46 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।

9. प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन

- करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass / overpass, अन्य कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।
10. State government shall ensure that road cutting shall be done as per the KML file submitted only, otherwise deviation will attract the provision of violation under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.
 11. The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable.
 12. The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable.
 13. The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable. The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/ Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.
 14. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
 15. संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
 16. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
 17. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
 18. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
 19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
 20. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

21. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
22. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
23. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
24. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
25. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
26. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

This bears the approval of competent authority.

Digitally signed by
Neelima Shah

Date: 03-10-2025

12:01:16

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ 0 सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CAMPA, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तृतीय तल (फ्रंट पॉर्शन), सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग (लाइन-3), नई दिल्ली-110001.
4. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, उत्तराखण्ड।
5. आदेश पत्रावली।